न्यायालयः—सिविल जज (सिनियर डिवीजन), प्रथम् औरंगाबाद।

बॅटवारा वाद संख्याः—299/2023

1. प्रमोद कुमार गुप्ता पुत्र बृजमोहन प्रसाद उर्फ मिठाई साव उम्र—लगभग 41 वर्ष। स्थायी पता—चुड़ी मार्केट, अन्दर बाजार पुरानी जी0टी0रोड औरंगाबाद, पो0+थाना+जिला—औरंगावाद। वर्तमान पता—मुहल्ला बराटपुर अखाड़ा औरंगाबाद, पो0+थाना+जिला—औरंगाबाद।

................वादी।

बनाम्

1. बृजमोहन प्रसाद उर्फ मिठाई साव पुत्र स्व0 दासु साहु व स्व0 मुंगिया दवी।
2. मालती देवी पत्नी बृजमोहन प्रसाद उर्फ मिठाई साव।
3. मन्टु कुमार पुत्र बृजमोहन प्रसाद उर्फ मिठाई साव।
4. आलोक रंजन पुत्र बृजमोहन प्रसाद उर्फ मिठाई साव

सभी साकिनान—चुड़ी मार्केट, अन्दर बाजार पुरानी जी0 टी0 रोड औरंगाबाद, पो0+थाना+जिला—औरंगावाद।

..........................प्रतिवादीगण।

वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ताः—श्री रविकान्त वर्मा।
प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ताः—श्री देवीनन्दन सिंह।

औरंगाबाद, 20 वीं जून, 2026 ई0।
उपस्थितः— डॉ0 दीवान फहद खान,
सिविल जज (सिनियर डिवीजन), प्रथम,
औरंगाबाद।

—:—निर्णय—:—

1. प्रस्तुत वाद वादी के द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व वादग्रस्त सम्पति में अपने 1/5 अंश के विभाजन के अनुतोष हेतु दाखिल किया गया है।

2. संक्षेप में वाद पत्र के अनुसार वादी का कथन यह है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दु परिवार से हैं जो हिन्दु विधि के मिताक्षरा स्कूल द्वारा शासित है। खाता संख्या 156, प्लॉट संख्या 626, रकवा 10 धूर की भूमि, जिसमें मकान और दुकान शामिल है, जो मौजा–औरंगाबाद, थाना संख्या–560, थाना –औरंगाबाद, जिला–औरंगाबाद में स्थित है, को संयुक्त परिवार के कोष से मुंगिया देवी के नाम पर इसके मूल स्वामी रामू साहु के माध्यम से निबंधित विकय विलेख संख्या 12337, दिनाक 13.12.1959 द्वारा कय किया गया था। खाता संख्या 156, प्लॉट संख्या 626 रकवा 7½ धूर की भूमि, जिसमें मकान और दुकानें शामिल है, जो मौजा–औरंगाबाद, थाना संख्या–560, थाना–औरंगाबाद, जिला–औरंगाबाद में स्थित है, को संयुक्त परिवार के कोष से मुंगिया देवी के नाम पर इसके मूल स्वामी रामू साहु से निबंधित विकय विलेख संख्या 12338, दिनांक 13.12.1959 के माध्यम से कय किया गया था। वादी की दादी मुंगिया देवी को खाता संख्या–156, प्लॉट संख्या–626, रकवा–17½ धूर के अंतर्गत कय की भूमि जिसमें मकान और दुकान शामिल है, जो मौजा–औरंगाबाद, थाना–औरंगाबाद, जिला–औरंगाबाद (बिहार) में स्थित है, पर वैध स्वामित्व व कब्जा प्राप्त था। कय के पश्चात्, वादी के दादा दासु साहु ने दिनांक 13.12.1959 के निबंधित विकय विलेखों के माध्यम से उपरोक्त कय की गयी संपति पर व्यावसायिक उद्वेश्य के लिए भूतल पर 6 नई दुकान और आवासीय उद्वेश्य के लिए ऊपरी दो मंजिलों का निर्माण कराया था। वादी के दादा–दादी दासु साहु और मुंगिया देवी की मृत्यु संयुक्तता की स्थिति में अपने पीछे तीन पुत्रगण–बृजमोहन प्रसाद उर्फ मिठाई साव, दल्लू साव और बिनोद प्रसाद को छोड़कर हो गयी, जिन्होंने अपने माता–पिता की अन्य सम्पति के साथ–साथ उपरोक्त सम्पति पर संयुक्त रूप से स्वामित्व व कब्जा विरासत में प्राप्त किया। आगे कहा गया है कि दासु साहु के पुत्रगण बृजमोहन प्रसाद उर्फ मिठाई साव, दल्लू साव और बिनोद प्रसाद ने वर्ष 2004 में अपनी पैतृक सम्पति का सौहार्दपूर्ण ढंग से विभाजन कर लिया तथा प्रत्येक को अलग–अलग आवंटन प्राप्त हुआ तथा अपनी आवंटित सम्पति पर वैध स्वामित्व व कब्जा प्राप्त किया। वर्ष 2004 के उक्त सौहार्दपूर्ण विभाजन में बृजमोहन प्रसाद उर्फ मिठाई साव को उपरोक्त दुकानें और मकान प्राप्त हुआ तथा दल्लू साव और बिनोद प्रसाद को अन्य सम्पति अलग से आवंटित की गयी। बृजमोहन प्रसाद उर्फ मिठाई साव उक्त मकान में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, जिसमें उनकी पत्नी प्रतिवादी संख्या–2 और तीन पुत्रगण–वादी, प्रतिवादी संख्या–3 और 4 शामिल हैं। वाद के पक्षकार अविभाजित संयुक्त हिन्दू परिवार से हैं, जिनके बीच मौजा–औरंगाबाद, थाना संख्या 560, थाना व जिला–औरंगाबाद (बिहार) में स्थित खाता संख्या–156, प्लॉट संख्या–626, रकवा–17½ धूर की भूमि पर जिसका विस्तृत विवरण वादपत्र के अनुसूची–I में दिया गया है, निर्मित दुकानों और मकान के संबंध में स्वामित्व और कब्जे की एकता है।

प्रतिवादी संख्या–1 परिवार का कर्ता है जो संयुक्त परिवार की सम्पति का लेन–देन और प्रबंधन करता है। प्रतिवादी संख्या–3 एक दुकान में अपना व्यवसाय चला रहा है और अन्य 5 दुकानों का किराया लगभग एक लाख रूपये मासिक प्रतिवादी संख्या–1 के द्वारा एकत्र किया गया है, परन्तु वादी को एक भी पैसा नहीं दिया गया है, संयुक्त परिवार की सम्पति के सभी मौद्रिक लाभ प्रतिवादी संख्या–1 और 3 द्वारा लिया गया है। वादी ने कई बार प्रतिवादी संख्या–1 और 3 से वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया, परन्तु प्रतिवादी संख्या–1 और 3 ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आगे कहा गया है कि वादी भारतीय रेलवे का कर्मचारी है, इसलिए वह अधिकतर घर से बाहर रहता है और वादी की पत्नी और बच्चे उक्त पैतृक घर में रहते हैं, परन्तु हाल ही में दिनांक 19.10.2023 को प्रतिवादीगण ने एक दूसरे के साथ मिलिभगत करके वादी की पत्नी अैर बच्चों को पैतृक घर से निकाल दिया और सारा सामान सड़क पर फेंक दिया। वादी ने दिनांक 25.10.2023 को प्रतिवादीगण से सम्पति का सीमाओं सहित सौहार्दपूर्ण ढंग से बंटवारा करने का अनुरोध किया, लेकिन प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। वाद का वाद हेतुक दिनांक 19.10.2023 को तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण ने वादी की पत्नी और बच्चों को वादग्रस्त घर से बाहर निकाल दिया तथा दिनांक 25.10.2023 को जब प्रतिवादीगण ने मौजा–औरंगाबाद, थाना–औरंगाबाद, जिला–औरंगाबाद में इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के भीतर सीमाओं सहित सम्पति का बंटवारा करने से साफ मना कर दिया।

वाद भूमि का विवरण

मौजा–औरंगाबाद, थाना संख्या–560, थाना व जिला–औरंगाबाद (बिहार) जो वाद पत्र के सिड्युल–I में दर्शित है ।

खाता सं0	प्लौट सं0	एराजी	चौहद्दी
156	626	17½ धूर	उ0–सड़क पक्का डबल स्टोरी बिल्डिंग में छः दुकानें द0–अब्दुल हयी वो अब्दुल राउफ पु0–कौलेश्वर साहु प0–गली

वंशावली

दासु साहु (मृतक) पत्नी मुंगिया देवी (मृतक)

बृजमोहन प्रसाद उर्फ मिठाई साव(D1) पत्नी मालती देवी(D2) | दल्लु साव | बिनोद प्रसाद

मन्टु dqekj(D3) | प्रमोद कुमार गुप्ता (वादी) | आलोक रंजन(D4)

3. प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से दाखिल लिखित अभिकथन में यह कहा गया कि प्रस्तुत वाद जैसा विरचित किया गया है, पोषणीय नहीं है। वादी के पास प्रस्तुत वाद संस्थित करने का कोई वैध वाद हेतुक प्राप्त नहीं है। प्रस्तुत वाद परिसीमा विधि तथा प्रतिकूल कब्जे के विधि से बाधित है। प्रस्तुत वाद विबंधन, अधित्यजन तथा उपमौन सहमति के सिद्वान्तों से बाधित है। आगे कहा गया है कि वाद पत्र के पारा 1 में किए गए कथन से इंकार नहीं किया जाता है। यह सत्य नहीं है कि वादग्रस्त प्लॉट 626 की भूमि रामू साहु से मुंगिया देवी के नाम पर संयुक्त परिवारिक कोष द्वारा कय की गयी थी, बल्कि मुंगिया देवी ने उक्त भूमि को संयुक्त पारिवारिक कोष की किसी सहायता के बिना अपने स्त्रीधन से कय किया था। इसके विपरीत वादपत्र का पारा 2 एवं 3 का कथन सत्य व सही नहीं है तथा उसका खंडन किया जाता है। वादपत्र के पारा 4 में किए गए कथन से इंकार नहीं किया जाता है। आगे कहा गया है कि यह सत्य नहीं है कि कय के पश्चात् दासु साहु ने उक्त भूमि पर व्यवसायिक उद्धेश्य के लिए भूतल पर छः दुकान और आवासीय उद्धेश्य के लिए दो ऊपरी मंजिलों का निर्माण कराया था, बल्कि मुंगिया देवी ने उक्त निर्माण कराया था। इसके विपरीत वादपत्र के पारा 5 में किए गए कथन का खंडन किया जाता है। वादपत्र के पारा 6 में किए गए कथन से इंकार नहीं किया जाता है। वादपत्र के पारा 7 एवं 8 में किए गए कथनों से भी इंकार नहीं किया जाता है। आगे कहा गया है कि वादी और अन्य प्रतिवादीगण उक्त मकान में प्रतिवादी संख्या–1 की अनुमति से रह रहे है और वादपत्र के पारा 9 में किए गए कथन का खंडन किया जाता है। प्रतिवादी संख्या–1 को उक्त मकान अपनी मॉ से विरासत में मिला है, इसलिए उक्त सम्पति प्रतिवादी संख्या–1 की पूर्ण व पृथक सम्पति है, जिसमें न तो वादी और न ही अन्य प्रतिवादीगण का कोई हिस्सा है। वादपत्र के पारा 10 एवं 11 में किए गए कथनों से इंकार नहीं किया जाता है। आगे कहा गया है कि वादग्रस्त सम्पति के संबंध में वाद के पक्षकारों के बीच स्वामित्व और कब्जे की एकता नहीं है, और वादपत्र के पारा 12 में किए गए कथन का खंडन किया जाता है। वादी वादग्रस्त सम्पति से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ में हिस्से का अधिकारी नहीं है, और वादपत्र के पारा 13 में किए गए विपरीत बयान का खंडन किया जाता है। वादपत्र के पारा 14 एवं 15 में किए गए कथनों का खंडन किया जाता है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या–1 से वादग्रस्त सम्पति के विभाजन का अनुरोध करने और प्रतिवादी सख्या–1 द्वारा इससे इंकार करने का कोई अवसर/कारण नहीं था, और वादपत्र के पारा 16 में किया गया कथन सत्य व सही नहीं है तथा उसका खंडन किया जाता है। वादपत्र के पारा 17 में वर्णित कथित वाद हेतुक सत्य व सही नहीं है तथा उसका खंडन किया जाता है। इस प्रकार वादी का वादग्रस्त सम्पति में कोई अंश नहीं है तथा प्रस्तुत वाद हर्जाने के साथ खारिज किए जाने योग्य है।

4. प्रतिवादी संख्या–2, 3 व 4 के विरूद्व दिनांक 20.04.2024 को तामिला पर्याप्त माना गया तथा प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4 के अनुपस्थिति के कारण उनके विरूद्व वाद की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की गयी।

5. वादी की ओर से अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निबंधित विकय विलेख संख्या 12337, दिनांकित 13.12.1959 तथा निबंधित विकय विलेख संख्या 12338, दिनांकित 13.12.1959 की सत्यापित प्रति दाखिल किया गया है जिस पर कमशः प्रदर्श–1 एवं 2 अंकित किया गया है। मौखिक साक्ष्य के रूप में वादी साक्षी संख्या–1 प्रमोद कुमार गुप्ता (वादी) एवं वादी साक्षी संख्या–2 प्रमोद कुमार का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिनका प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से प्रतिपरीक्षण किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के विरूद्व वाद की कार्यवाही एकपक्षीय अग्रसारित होने के कारण इनके द्वारा वादी साक्षियों का प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया।

प्रतिवादी साक्षी संख्या–1 की ओर से कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

6. उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दुओं का गठन किया गया है–

1. क्या वाद जैसा विरचित किया गया है, पोषणीय है ?
2. क्या वाद विबंधन, अधित्यजन तथा उपमौन–सहमति के सिद्वांतों से बाधित है ?
3. क्या वादी को वाद संस्थित करने का वैध वाद हेतुक प्राप्त है ?
4. क्या वादग्रस्त सम्पति के संबंध में वादी और प्रतिवादीगण के बीच स्वामित्व की एकता तथा कब्जे की संयुक्तता है ?
5. क्या वादी किसी अन्य अनुतोष या अनुतोषों को प्राप्त करने का अधिकारी है ?

–:–<u>निष्कर्ष</u>–:–

7. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–1</u>

यह वाद बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि "क्या वाद जैसा विरचित किया गया है, पोषणीय है?" यह वाद बिन्दु प्रतिवादी संख्या–1 के

अभिवचन के आधार पर विरचित किया गया है जिसे साबित करने का भार प्रतिवादी पर है किन्तु प्रतिवादी के द्वारा इस वाद बिन्दु को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद वादग्रस्त सम्पति में अपने 1/5 अंश के विभाजन हेतु लाया गया है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है तथा न्यायालय द्वारा पोषणीय है। अतः यह वाद बिन्दु प्रतिवादी के विरूद्व निस्तारित किया जाता है।

8. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–2</u>

यह वाद बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि "क्या वाद विबंधन, अधित्यजन तथा उपमौन–सहमति के सिद्वांतों से बाधित है?" यह वाद बिन्दु भी प्रतिवादी संख्या–1 के अभिवचन के आधार पर विरचित किया गया है जिसे साबित करने का भार प्रतिवादी पर है किन्तु प्रतिवादी के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि प्रस्तुत वाद विबंधन, अधित्यजन तथा उपमौन –सहमति के सिद्वांतों से बाधित है। अतः यह वाद बिन्दु प्रतिवादी के विरूद्व निस्तारित किया जाता है।

9. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–3</u>

यह वाद बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि "क्या वादी को वाद संस्थित करने का वैध वाद हेतुक प्राप्त है?" इस संबंध में वादी का यह अभिकथन है कि वादग्रस्त सम्पति खाता संख्या 156, प्लॉट संख्या 626 रकवा 10 धूर एवं 7½ धूर कुल 17½ धूर स्थित मौजा–औरंगाबाद, थाना संख्या–560, थाना–औरंगाबाद, जिला–औरंगाबाद (बिहार), वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त पैतृक सम्पति है जिसमें वादी का 1/5 अंश निहित है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त सम्पति पर संयुक्त रूप से बतौर स्वामी काबिज दाखिल है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के पारा 15 एवं 16 में वाद का वाद हेतुक उत्पन्न होने के संबंध में अभिकथन किया गया है जिसके अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 19.10.2023 को वादी की पत्नी एवं बच्चों को उसकी पैतृक सम्पति से निकाल दिया गया तथा दिनांक 23.10.2023 को वादग्रस्त सम्पति का विभाजन करने से इंकार कर दिया गया तब वादी के द्वारा वैध वाद हेतुक उत्पन्न होने के आधार पर प्रस्तुत वाद दाखिल किया गया है। इस प्रकार वादी को प्रस्तुत वाद दाखिल करने का वैध वाद हेतुक प्राप्त है। अतः यह वाद बिन्दु प्रतिवादी के विरूद्व निस्तारित किया जाता है।

10. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–4</u>

यह वाद बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि "क्या

वादग्रस्त सम्पति के संबंध में वादी और प्रतिवादीगण के बीच स्वामित्व की एकता तथा कब्जे की संयुक्तता है?" इस संबंध में वादी के द्वारा अपने वादपत्र में यह कथन किया गया है कि वादग्रस्त सम्पति खाता संख्या 156, प्लॉट संख्या 626, रकबा 10 धूर एवं खाता संख्या 156, प्लॉट संख्या 626, रकबा 7½ धूर जिसमें मकान व दुकान सम्मिलित है, जो मौजा–औरंगाबाद, थाना संख्या–560, थाना व जिला–औरंगाबाद में स्थित है, मुंगिया देवी पत्नी दासु साहु के द्वारा उक्त सम्पति के मूल स्वामी रामू साहु से संयुक्त परिवार के कोष के जरिए निबंधित विक्रय विलेख संख्या 12337 दिनांकित 13.12.1959 एवं विक्रय विलेख संख्या 12338 दिनांकित 13.12.1959 क्रय किया गया है। मुंगिया देवी वादी की दादी है जो वादग्रसत सम्पति पर बतौर स्वामी काबिज दाखिल रही है। उक्त सम्पति को क्रय करने के पश्चात् वादी के दादा दासु साहु के द्वारा व्यावसायिक उद्धेश्य से भूतल पर छः दुकान एवं आवासीय उद्धेश्य से ऊपरी दो मंजिल का निर्माण कराया गया। दासु साहु एवं मुंगिया देवी के मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्रगण बृजमोहन प्रसाद उर्फ मिठाई साव, दल्लू साव एवं बिनोद साव को उक्त सम्पति संयुक्त रूप से प्राप्त हुयी तथा उनके मध्य वर्ष 2004 में वादग्रस्त एवं अन्य पैतृक सम्पतियों के संबंध में विभाजन हो गया तथा वादग्रस्त सम्पति प्रतिवादी संख्या–1 बृजमोहन प्रसाद उर्फ मिठाई साव को प्राप्त हुआ जिसमें वह अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। इस प्रकार वादी के उपरोक्त कथानक के अनुसार वादग्रस्त सम्पति वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त अविभाजित सम्पति है जिसमें वादी प्रतिवादी संख्या–1 जो कि उसके पिता है, प्रतिवादी संख्या–2 माता तथा प्रतिवादी संख्या–3 एवं 4 भाई हैं, के साथ संयुक्त रूप से काबिज दाखिल है। वादी के द्वारा इस संबंध में मुंगिया देवी द्वारा वादग्रस्त सम्पति का निबंधित विक्रय विलेख संख्या 12337, दिनांकित 13.12.1959 तथा निबंधित विक्रय विलेख संख्या 12338, दिनांकित 13.12.1959 की सत्यापित प्रतिलिपि बतौर साक्ष्य दाखिल किया गया है, जिस पर क्रमशः प्रदर्श–1 एवं प्रदर्श–2 अंकित किया गया है। निबंधित विक्रय विलेख संख्या 12337, दिनांकित 13.12.1959 के अवलोकन से यह दर्शित हो रहा है कि मुंगिया देवी पत्नी दासु साहु के द्वारा विक्रेता रामू साहु से खाता संख्या 156, प्लॉट संख्या 626, रकबा 10 धूर तथा निबंधित विक्रय विलेख 12338, दिनांकित 13.12.1959 से खाता संख्या 156, प्लॉट संख्या 626, रकबा 7½ धूर उक्त विक्रेता रामू साहु से क्रय किया गया है। प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी संख्या–1 बृजमोहन प्रसाद उर्फ मिठाई साव के द्वारा भी अपने लिखित कथन में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त सम्पति मुंगिया देवी के द्वारा विक्रेता रामू साहु से क्रय की गयी है किन्तु इस तथ्य से इंकार किया है कि मुंगिया देवी के द्वारा वादग्रस्त सम्पति संयुक्त परिवार के कोष से क्रय की गयी है। प्रतिवादी संख्या–1 के अनुसार वादग्रस्त सम्पति मुंगिया देवी के द्वारा अपने स्त्रीधन से क्रय की गयी है तथा उक्त सम्पति पर निर्माण भी मुंगिया देवी के द्वारा ही कराया गया है। प्रतिवादी संख्या–1 के द्वारा अपने लिखित कथन में

इस तथ्य को भी स्वीकार किया गया है कि मुंगिया देवी एवं दासु साहु की मृत्यु के पश्चात् वादग्रस्त सम्पति एवं अन्य सम्पति उसे एवं उसके अन्य दो भाईयों दल्लू साव एवं बिनोद प्रसाद को प्राप्त हुयी जिसके संबंध में वर्ष 2004 में उनके मध्य आपसी सहमति से विभाजन हो गया तथा वादग्रस्त सम्पति प्रतिवादी संख्या–1 को प्राप्त हुयी। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या–1 के द्वारा अपने लिखित कथन में वादग्रस्त सम्पति के पैतृक सम्पति होने तथा आपसी विभाजन से उसे प्राप्त होने के तथ्य को स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या–1 के द्वारा अपने लिखित कथन में इस तथ्य को भी स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त सम्पति उसे अपनी माता मुंगिया देवी से विरासतन प्राप्त हुयी है, जिससे यह साबित हो रहा है कि वादग्रस्त सम्पति वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सम्पति है। प्रतिवादी संख्या–1 के द्वारा अपने लिखित कथन में वादपत्र के पारा 10 एवं 11 में वादी द्वारा किए गए कथन से भी इंकार नहीं किया है जिसमें वादी द्वारा वादग्रस्त सम्पति को संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पति होने का कथन किया गया है तथा यह भी अभिकथन किया गया है कि वादग्रस्त सम्पति खाता संख्या 156, प्लॉट संख्या 626, रकबा 17½ धूर, मौजा–औरंगाबाद, थाना संख्या 560, थाना व जिला–औरंगाबाद वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति है जिस पर वे संयुक्त रूप से काबिज दाखिल है। इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या–1 के द्वारा अपने लिखित कथन में वादग्रस्त सम्पति के संबंध में पक्षकारों की स्वामित्व की एकता एव कब्जे की संयुक्तता को स्वीकार किया गया है।

वादी के द्वारा अपने वादपत्र में किए गए कथानक को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र बतौर वादी साक्षी संख्या–1 तथा प्रमोद कुमार पुत्र शंकर प्रसाद का साक्ष्य शपथ पत्र बतौर वादी साक्षी संख्या–2 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वादी की ओर से प्रस्तुत किए गए स्वयं के मौखिक साक्ष्य में वादपत्र के कथानक का समर्थन कर यह साक्ष्य दिया गया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त परिवार के सदस्य हैं तथा वादग्रस्त सम्पति खाता संख्या 156, प्लॉट संख्या 626, रकबा 17½ धूर, मौजा–औरंगाबाद, थाना संख्या 560, थाना व जिला–औरंगाबाद वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त पैतृक सम्पति है जिसे वादी की दादी तथा प्रतिवादी संख्या–1 की माता मुंगिया देवी के द्वारा कय किया गया है तथा मुंगिया देवी एवं उनके पति दासु साहु के मृत्यु के पश्चात् वादग्रस्त सम्पति उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या–1 एवं अन्य पुत्रगण को प्राप्त हुयी तथा उनके मध्य हुए आपसी परिवारिक समझौते के पश्चात् प्रतिवादी संख्या–1 को प्राप्त हुयी। प्रतिवादी संख्या–1 अपने परिवार के साथ उक्त सम्पति पर बतौर स्वामी काबिज दाखिल है। प्रतिवादी की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षण में वादी साक्षी संख्या–1 द्वारा यह साक्ष्य दिया गया है कि वादग्रस्त सम्पति उसकी दादी मुंगिया देवी के द्वारा कय की गयी थी। उक्त सम्पति निबंधित कवाला से कय किया गया था

जिसके पश्चात् मुंगिया देवी द्वारा उसमें निर्माण कराया गया था तथा वादग्रस्त सम्पति के संबंध में पक्षकारों के मध्य कोई विभाजन नहीं हुआ है।

वादी साक्षी संख्या–2 जो कि स्वतंत्र साक्षी हैं, उनके द्वारा भी वादपत्र के कथानक का समर्थन करते हुए यह साक्ष्य दिया गया है कि वादग्रस्त सम्पति वादी एवं प्रतिवादीगण की मौरूसी सम्पति है जो प्रतिवादी संख्या–1 को विभाजन में प्राप्त हुयी थी। वादग्रस्त सम्पति में वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से रहते हैं जिसमें वादी का हक व हिस्सा है तथा प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया गया है कि वादग्रस्त सम्पति वादी के दादी के नाम से है।

इस प्रकार वादी की ओर से प्रस्तुत किए गए मौखिक साक्ष्य से भी यह साबित हो रहा है कि वादग्रस्त सम्पति वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित सम्पति है जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त स्वामित्व व कब्जा है।

वादी के द्वारा यह वाद संयुक्त पैतृक सम्पति में अपने अंश के विभाजन हेतु दाखिल किया गया है। वादी की ओर से प्रस्तुत किए गए दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से यह साबित हो रहा है कि वादग्रस्त सम्पति वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सम्पति है जिस पर वे संयुक्त रूप से काबिज दाखिल है। वादी के अनुसार वादग्रस्त सम्पति में उसका 1/5 अंश है, जिसके संबंध में उसके द्वारा अपने वादपत्र में वंशावली को दर्शाया गया है जिसके अनुसार वादग्रस्त सम्पति की मूल स्वामिनी मुंगिया देवी के तीन पुत्रगण प्रतिवादी संख्या–1 बृजमोहन प्रसाद उर्फ मिठाई साव, दल्लू साव एवं बिनोद प्रसाद हैं। बृजमोहन प्रसाद उर्फ मिठाई साव जो कि प्रतिवादी संख्या–1 हैं, को वादग्रस्त सम्पति आपसी पारिवारिक बंटवारा में प्राप्त हुयी है। प्रतिवादिनी संख्या–2 प्रतिवादी संख्या–1 की पत्नी तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 प्रतिवादी संख्या–1 के अन्य पुत्रगण हैं। चुंकि वादग्रस्त सम्पति प्रतिवादी संख्या–1 को विरासतन प्राप्त हुयी है इसलिए उक्त सम्पति में उनकी पत्नी एवं पुत्रगण, सभी का समान अंश है। प्रतिवादी संख्या–1 के द्वारा वादपत्र में दर्शायी गयी वंशावली से इन्कार नहीं किया गया है तथा उसके द्वारा अपने लिखित कथन में यह स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त सम्पति में वादी एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त स्वामित्व व कब्जा दखल है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में तथा वादी की ओर से प्रस्तुत किए गए दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से वादी यह साबित करने में सफल रहा है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य वादग्रस्त सम्पति के संबंध में स्वामित्व की एकता व कब्जे की संयुक्तता है। तदनुसार, यह वाद बिन्दु वादी के पक्ष में निस्तारित किया जाता है।

11. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–5</u>

यह वाद बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि “क्या वादी किसी अन्य अनुतोष या अनुतोषों को प्राप्त करने का अधिकारी है? ” प्रस्तुत वाद वादी के द्वारा वादग्रस्त सम्पति में अपने 1/5 अंश के विभाजन हेतु लाया गया है। वादी प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से यह साबित करने में सफल रहा है कि वादग्रस्त सम्पति वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सम्पति है जिसमें उसका 1/5 अंश है। वादी के द्वारा अपने वादपत्र में वादग्रस्त सम्पति में अपने 1/5 अंश के विभाजन के अतिरिक्त किसी अन्य अनुतोष की स्पष्ट रूप से मॉग नहीं की गयी है तथा न्यायालय का भी यह मत है कि वादी किसी अन्य अनुतोष को पाने का अधिकारी नहीं है। तदनुसार, यह वाद बिन्दु निस्तारित किया जाता है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से प्रस्तुत किए गए अभिवचनों तथा वादी की ओर से प्रस्तुत किए गए दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के परिशीलनोपरांत न्यायालय का यह अभिमत है कि वादी यह साबित करने में सफल रहा है कि वादग्रस्त सम्पति के संबंध में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य स्वामित्व की एकता एवं कब्जे की संयुक्तता है तथा वादी वादग्रस्त सम्पति में अपने 1/5 अंश को जरिए विभाजन प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रस्तुत वाद वादी के पक्ष में निर्णित किए जाने योग्य है।

–:–<u>आदेश</u>–:–

दावा वादी प्रतिवादी संख्या–1 के विरूद्व ससंघर्ष तथा प्रतिवादी संख्या–2 ता 4 के विरूद्व एकपक्षीय रूप से सव्यय डिकि किया जाता है। तदनुसार, कार्यालय प्रारंम्भिक डिकि तैयार करें।

लेखापित

(डॉ0 दीवान फहद खान)
सिविल जज (सिनियर डिवीजन), प्रथम
औरंगाबाद।
दिनांकः 20/06/2026

निर्णय आज मेरे द्वारा लेखापित, शुद्वित और हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(डॉ0 दीवान फहद खान)
सिविल जज (सिनियर डिवीजन), प्रथम
औरंगाबाद।
दिनांकः 20/06/2026

Witness produced from Plaintiff

Rank	Name	**Nature of Evidence**
Pw-1	प्रमोद कुमार गुप्ता	वाद के स्वयं वादी
Pw-2	प्रमोद कुमार	साक्षी

A. Documentry evidence produced by Plaintiff

Sr. No.	Exhibit No.		Description
1.	प्रदर्श–1		निबंधित विकय विलेख संख्या 12337,दिनांकित 13.12.1959 की सत्यापित प्रति
2.	प्रदर्श–2		निबंधित विकय विलेख संख्या 12338,दिनांकित 13.12.1959 की सत्यापित प्रति

Witness produced from Defendant

XX		xx

B. Documentary evidence of Defendant :शुन्य

C. Court Exhibits:-शुन्य

D. Material Objects:-शुन्य

(डॉ0 दीवान फहद खान)
सिविल जज (सिनियर डिवीजन), प्रथम
औरंगाबाद।
दिनांकः 20/06/2026